




# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

मुकदमा महेन्द्र कुमार विपक्षी कैलाश चव्वा  
25/1/25 पत्रावली संख्या 98/25 सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p><u>16/6/25</u>                      पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई।                      वि. विपक्षी/रेसपो. को जरिये सम्मन/                      स्टैस तलब किये जाकर पत्रावली बन्द                      तलबी दि. <u>18/7/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>सहायक कलक्टर</b>                      (SDO) मावली                 </p> <p><u>18/7/25</u>                      पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।                      उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का                      बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य                      स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/                      भ्रमण/मीटिंग में पधारे हैं। पत्रावली पूर्व आदेश                      के क्रम में दिनांक <u>4/8/25</u> को पेश हो।</p> <p><u>04/8/25</u>                      पत्रावली पेश हुई। अधि. प्रार्थी (उप.)                      विपक्षी सं. 1, 2 की ओर से अधि. सी माविक                      पैन द्वारा उ. त ली। आगामी पेशी पर वकालतबन्ध                      पेश कर देंगे। तहसीलदार मावली को विद्वुवार                      रिपोर्ट हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक  <u>21/8/25</u> को पेश हो।</p> <p><u>21/8/25</u>                      पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान                      उप। तहसीलदार से राजस्व/मौका/                      कौडी. पालना रिपोर्ट अर्पित।                      रिपोर्ट प्राप्त।                      पत्रावली वास्ते पेश होने रिपोर्ट दिनांक  <u>6/10/25</u> को पेश हो।</p>	<p>U.T.                      विपक्षी सं. - (1, 2) की                      ओर से  </p> <div style="text-align: right;">  </div>

06/10/25

पन्नाबली पेठा हुई। अधिवक्ता प्रार्थी  
मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता  
प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को बार-बार  
आवाजे दिलवाई गई। समय सांय  
5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं प्रार्थी एवं  
उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं।  
अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी  
अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना  
पत्र अदम हाजरी अदम पेंरवी में खारिज  
किया जाता है। पन्नाबली फैसल शुमार  
होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
(SDO) पन्ना